भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3457

दिनांक 21.03.2025को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं

3457. **श्री डी. एम. कथीर आनंदः**

डॉ . टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

श्रीमती माला रायः

श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 2025 में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा तीन उड़ानों से अनेक भारतीयों को स्वदेश भेजा गया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को वर्तमान वर्ष में अमरीका से निर्वासित किए जाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अमरीकी अधिकारियों से अमरीका से निर्वासित किए जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री ने अमरीका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति और शीर्ष अमरीकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी पहनाई गई थी और उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थीं और उन्हें पैर घसीटकर चलने के लिए बाध्य किया गया था जो सामान्यतः खूंखार अपराधियों के साथ किया जाता है;

(च) क्या सरकार की उन भारतीयों, जिन्हें अमरीका से अवैध आप्रवासी के रूप में नामित किया गया था और जिन्हें आने वाले दिनों में वापस भेजा जाना है, को वापस लाने के लिए, अपने विमान भेजने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ) जनवरी 2025 से अब तक, कुल 388 भारतीय नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत निर्वासित किया गया है। इनमें से 333 भारतीय नागरिकों को सत्यापन के बाद तीन अलग-अलग चार्टर्ड उड़ानों से सीधे अमेरिका से भारत निर्वासित किया गया, जो क्रमशः 5, 15 और 16 फरवरी 2025 को पहुँची। इसके अलावा अमेरिका ने पनामा के माध्यम से 55 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया जो वाणिज्यिक उड़ानों से भारत पहुंचे।

अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) प्राधिकारियों ने हाल ही में 295 अतिरिक्त व्यक्तियों से संबंधित सूचना हमारे साथ साझा की है, जिन्हें अमेरिका से निकाले जाने के अंतिम आदेश के साथ उनकी हिरासत में रखा गया है। विदेश मंत्रालय, अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर, वर्तमान में इन 295 व्यक्तियों के विवरणों की पुष्टि कर रहा है।

भारत सरकार ऐसे अभियानों के दौरान निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने के बारे में अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने 5 फरवरी को उतरने वाली उड़ान में निर्वासितों के साथ किए गए व्यवहार, खासकर महिलाओं पर बेड़ियों के इस्तेमाल के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताएं दर्ज कराई हैं।

निर्वासन को व्यवस्थित करने और निष्पादित करने के लिए अमेरिकी मानक संचालन प्रक्रिया जो नवंबर 2012 से प्रभावी है, में निर्वासितों पर प्रतिबंधों के उपयोग की बात कही गई है। अमेरिकी प्राधिकारियों ने बताया है कि निर्वासन मिशन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जबकि महिलाओं और नाबालिगों को आम तौर पर बेड़ियाँ नहीं लगाई जाती हैं, निर्वासन उड़ान के प्रभारी उड़ान अधिकारी का इस मामले में अंतिम निर्णय होता है। अमेरिकी पक्ष ने पुष्टि की है कि 15 और 16 फरवरी 2025 को भारत आने वाली निर्वासन उड़ानों में किसी भी महिला या बच्चे को बंधन में नहीं रखा गया था। भारत पहुंचने पर निर्वासितों से पूछताछ करने के बाद हमारी एजेंसियों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई और इसे रिकॉर्ड किया गया।

हाल ही में 12-13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान अवैध आव्रजन नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।25 निर्वासित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग करते हुए अवैध अप्रवास के खिलाफ भारत के सतत रुख को दोहराया गया। दोनों पक्षों ने अवैध कार्यों में लिप्त लोगों, आपराधिक गतिविधियों में सहायता करने वालों और अवैध अप्रवासी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अवैध अप्रवास और मानव तस्करी से निपटने में निकट सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया।

अमेरिका केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर रहा है जिन्हें अमेरिकी आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अवैध आवाजाही और प्रवास से जुड़ी कई अन्य गतिविधियाँ भी हैं, जो अवैध प्रकृति की हैं। इसके अलावा, हमारे वे नागरिक जो अवैध प्रवास में फंस गए हैं, वे खुद अन्य अपराधों का शिकार बन गए हैं। हाल ही में वापस लौटे लोगों ने अपने भयावह अनुभवों को बताया।

भारत सरकार अवैध आव्रजन एजेंटों, प्रवासन रैकेटों और संपूर्ण आपराधिक पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके आधार पर अवैध आव्रजन पनपता है।

****